31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 26(3) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(2) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के संलग्न आर्थिक चिट्ठा तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर तथा बंगलौर स्थित 4 शाखाओं के लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण परिषद के प्रबंधक-वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन परिपाटियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन मापदंडों आदि के अनुपालन से संबंधित लेखांकन व्यवहार के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और कुशलता-एवं-निष्पादन पक्षों आदि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन के बारे में लेखा-परीक्षा अभिमत, यदि कोई हों तो निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित किए जाते हैं।

3. हमने यह लेखा-परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा-परीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस आशय का समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। एक लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधक-वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक समुचित आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि

(i) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए जरूरी थे।

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल आर्थिक चिट्ठा, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, जहां तक इस तरह की बहियों की हमारी जांच से पता चलता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खंड 26(1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य संगत अभिलेख रखे गए हैं।

(iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

ए. आर्थिक चिट्ठा

ए.1. देयताएं

ए.1.1 प्रावधान

सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपदान, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक आधार पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है हालांकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह प्रकट किया गया है कि उपदान संबंधी देयता बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधारित है। इस बात का उल्लेख पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था।

ए.2. परिसंपत्तियाँ

ए.2.1 स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित न करना

राअशिप ने लेखांकन नीतियों में यह कहा है कि आयकर अधिनियम में सीधी रेखा विधिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया जा रहा है किन्तु परिषद ने स्थापना के समय से ही स्थिर परिसम्पत्तियों पर किसी मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया है। इस प्रकार महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं संबंधी टिप्पणियों में किया गया प्रकटन सही नहीं था। इसका उल्लेख पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था।

ए.2.2 निवेश पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया

अंशदायी भविष्य निधि का निवेश वित्त मंत्रालय की दिनांक 14.08.2008 की अधिसूचना संख्या 5(88)/2006–ईपीआर के अनुसार नहीं किया गया। इसका उल्लेख पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था।

बी. **महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां (अनुसूची 24 तथा 25)**

बी.1. 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' और 'लेखाओं' पर टिप्पणियां' निदर्शी रूप में दर्शायी गई हैं। ये निदर्शी रूप में नहीं दर्शायी जानी चाहिए थी बल्कि जिन महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों का वस्तुतः अनुपालन किया गया है, उन्हें दर्शाया जाना चाहिए था। इसका उल्लेख पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था।

सी **सामान्य**

परिषद ने अपने लेखा प्रोद्भवन आधार की बजाय रोकड़ आधार पर तैयार किए हैं।

डी **सहायता अनुदान**

वर्ष के दौरान राअशिप को सरकार से कोई सहायता अनुदान नहीं प्राप्त हुआ।

ई **प्रबंधक–वर्ग का पत्र**

जिन कमियों को लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधक–वर्ग के एक पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, राअशिप की जानकारी में ला दिया गया है।

(5) पिछले अनुच्छेदों में दिए गए हमारे अभिमतों के अध्यधीन हम यह सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में जिस आर्थिक चिट्ठा, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(6) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण तथ्यों तथा इस लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य बातों के अध्यधीन भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2012 के अनुसार परिषद की स्थिति के आर्थिक चिट्ठा के साथ है, तथा

ख. जहां तक इसका संबंध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा के साथ है।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी तरफ से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.10.12

महानिदेशक लेखा–परीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- परिषद में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षा अखिल भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखाकार परिषद, नई दिल्ली द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय की वर्ष 2011–12 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं कराई गई।

- नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से संबंधित 99 पैरा अनिर्णीत पड़े थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- 28 अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध 38 अनुशासनिक मामले लम्बित थे।
- वर्ष 1996–97 से 2010–11 तक की अवधि हेतु 43 अनुच्छेद लम्बित थे।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- राअशिप मुख्यालय के संबंध में 2008–09 तक स्थिर परिसंपत्तियों (पुस्तकालयी पुस्तकों को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया था। पुस्तकालयी पुस्तकों का भौतिक सत्यापन 2011–12 तक किया जा चुका है।
- मुख्यालय द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का समेकित रजिस्टर नहीं रखा गया है। इसके अलावा राअशिप के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा खरीदी गई स्थिर परिसंपत्तियों का सार राअशिप मुख्यालय में प्राप्त मासिकं लेखाओं के साथ संलग्न नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में आर्थिक–चिट्ठा में दर्शाई गई रकम का सत्यापन नहीं किया जा सका।

4. स्कन्ध के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन 2008–09 तक किया गया।

5. सांविधिक देय राशि अदायगी में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई भी अदायगी 31 मार्च, 2012 को छः महीने से अधिक समय से बकाया नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आर्थिक चिट्ठा

राशि (रुपए)

कोर्पस निधि/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोर्पस/पूंजीगत निधि	1	785385807.21	762492030.73
रिजर्व तथा अधिशेष	2	-	-
आबंटित/स्थायी निधियां	3		
(क) अंशदायी भविष्य निधि (अनुसूची 10)	10	43578554.16	39226601.16
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	944691.00	944237.00
योग		**829909052.37**	**802662868.89**
परिसंपत्तियां			
स्थिर परिसंपत्तियां	8	69904555.33	64990253.33
निवेश-आबंटित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश-अन्य-सीपीएफ	10	43578554.16	39226601.16
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	716425942.88	698446014.40
विविध व्यय (जिस सीमा तक उन्हें बट्टे खाते नहीं डाला गया अथवा समायोजित नहीं किया गया)		-	-
योग		**829909052.37**	**802662868.89**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष का आय और व्यय लेखा

राशि (रुपए)

	अनुसूची	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
आय				
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-		-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	-		-
फीस/चंदा	14	-		-
निवेशों से आय(आबंटित/स्थायी निधियों में निवेश से आय जो निधियों को अंतरित की गई)	15	-		-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-		-
उपार्जित ब्याज	17	26692434.10		34417301.67
अन्य आय	18	121992544.89		100347641.91
तैयार माल के भंडार में वृद्धि/(कमी) तथा चालू कार्य	19	-		
योग (ए)			**148684978.99**	**134764943.58**
व्यय				
अधिष्ठान व्यय	20	65175462.00		61209533.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	60615740.51		60524328.54
अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	-		-
ब्याज	23	-		-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)		-		-
योग (बी)			**125791202.51**	**121733861.54**
व्यय की तुलना में आय की अधिकता के रूप में शेष (ए–बी)		22893776.48		13031082.04
विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक का खुलासा करें)		-		-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		-		-
अधिशेष/(घाटे) के रूप में कोर्पस/पूंजीगत निधि को अग्रेनीत शेष			**22893776.48**	**13031082.04**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-		-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	0.00	0.00	

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष राशि (रुपए)	चालू वर्ष राशि (रुपए)	पिछले वर्ष के आंकड़े	भुगतान	चालू वर्ष राशि (रुपए)	चालू वर्ष राशि (रुपए)	पिछले वर्ष के आंकड़े
I. अथशेष				**I. व्यय**			
क) रोकड़ हाथ में	247177.00	**247177.00**	327460.00	क) अधिष्ठान व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	65175462.00		61209533.00
ख) बैंक शेष				ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	60615740.51	**125791202.51**	60524328.54
i) चालू खातों में							
ii) जमा खातों (योजनागत) में	483117982.39		495697861.32				
iii) बचत खातों में 1. योजनागत	53025834.76		70940504.79				
2. एन.पी.ई.पी.	536669.00		536669.00				
3. एचआईवी/एड्स-यूनेस्को	77752.00	**536758238.15**	77752.00				
II. प्राप्त अनुदान		0.00		**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किया गया भुगतान** (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान से संबंधित विवरणों के साथ-साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)			
क) भारत सरकार से	-						
ख) राज्य सरकार से	-						
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग-अलग दर्शाए जाएं)	-						
i) यूनेस्को-शांति शिक्षा	-						
III. निम्न पर निवेश से आय				**III. किए गए निवेश और जमा**			
क) आबंटित/स्थायी निधियां	-			क) आबंटित/स्थायी निधियों में से	0	0	0
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-			ख) स्वयं अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)			
IV. प्राप्त ब्याज				**IV. स्थिर परिसंपत्तियों और पूंजीगत-चालू-काम पर व्यय**			
एफडीआर/बचत बैंक खातों पर अनुसूची 17 के अनुसार	26692434.10	**26692434.10**	34417301.67	क) स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	4914302.00		0.00
V. अन्य आय (खुलासा करें)				ख) पूंजीगत-चालू-काम पर व्यय	0.00	**4914302.00**	2060681.00
				V. अधिशेष राशि/ऋणों की वापसी			
अनुसूची-18 के अनुसार	121992544.89	**121992544.89**	100347641.91	क) भारत सरकार को	0	0	0
				ख) राज्य सरकार को			
				ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को (एफडीआर पर ऋण की वापसी)	0.00	**0.00**	30000000.00
VI. उधार ली गई राशि	0.00	**0.00**	0.00	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	0	0	0

VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			
विविध अग्रिम	1157961.00		1533332.00
परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अग्रिम	823970.00		259970.00
यात्रा भत्ता अग्रिम	760674.00		1698898.00
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	162134.00		206653.00
त्यौहार अग्रिम	58500.00		75300.00
भवन निर्माण अग्रिम	115428.00		93756.00
कंप्यूटर अग्रिम	134786.00		120998.00
मोटर-कार अग्रिम	95573.00		97382.00
पंखा/भोजन/साइकिल अग्रिम/चिकित्सीय अग्रिम	0.00		0.00
स्थायी अग्रदाय	20000.00		0.00
अन्य (ठेकेदार)	0.00		0.00
आवासीय भवन के लिए किराया	0.00	3329026.00	0
VIII. संप्रेषण और वसूलियां			
क)आयकर/जीपीएफ/सीपीएफ (प्रतिनियुक्तियां/अन्य)	7543299.00		8270766.00
ख) सीपीएफ (रा.अ.शि.प.)	3693333.00		3071218.00
ग) जीएसएलआईएस	110120.00	11346752.00	96450.00
IX. जमा/प्रतिभूति	808534.00	808534.00	56700.00
योग (रुपए)	701,174,706.14	701,174,706.14	717,926,613.69

VII. अन्य भुगतान (खुलासा करें)			
विविध अग्रिम	1154224.00		2582780.00
त्यौहार अग्रिम	71250.00		52500.00
स्कूटर अग्रिम/मोटर कार अग्रिम	43000.00		173500.00
परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अग्रिम	772940.00		632000.00
स्थायी अग्रदाय	0.00		0.00
यात्रा भत्ता अग्रिम	1452166.00		1255840.00
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	216134.00		191476.00
पंखा/भोजन/साइकिल अग्रिम	0.00		0.00
भवन निर्माण अग्रिम	21672.00		0.00
कंप्यूटर अग्रिम	107000.00		36000.00
अग्रदाय	31000.00		0.00
चिकित्सीय अग्रिम	0.00		0.00
पेशगी जमा	0.00		0.00
अग्रिम (ठेकेदार)	0.00		0.00
		3869386.00	
VIII. संप्रेषण और वसूलियां			
क) आयकर/जीपीएफ/सीपीएफ (प्रतिनियुक्तियां/अन्य)	7558550.00		8270766.00
ख) सीपीएफ (रा.अ.शि.प.)	3693333.00		3071218.00
ग) जीएसएलआईएस	107540.00	11359423.00	94600.00
IX. जमा/प्रतिभूति	3046894.00	3046894.00	10765976.00
X. इतिशेष			
क) रोकड़ हाथ में	231773.00	231773.00	247177.00
ख) बैंक शेष			
i) चालू खातों में	508802176.11		483117982.39
ii) जमा खातों में	42545128.52		53025834.76
iii) बचत खातों में 1. योजनागत	536669.00		536669.00
2. एन.पी.ई.पी.			
3. एचआईवी/एड्स-यूनेस्को	77752.00	551961725.63	77752.00
योग (रुपए)	701,174,706.14	701,174,706.14	717,926,613.69

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष से संबंधित रा.अ.शि.प. की अंशदायी भविष्य निधि का प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछले वर्ष के आंकड़े राशि (रुपए)	भुगतान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष के आंकड़े राशि (रुपए)
	राशि (रुपए)	राशि (रुपए)			राशि (रुपए)	राशि (रुपए)	
1.4.2011 को अथशेष				सीपीएफ अग्रिम	**469,300,00**	**469,300.00**	1,152,000.00
क) रोकड़ हाथ में	0.00		0.00				
ख) बैंक शेष	16,449,964.83	16,449,964.83	10,454,503.83	सीपीएफ अंतिम निकासी	2,605,000.00	2,605,000.00	2,075,000.00
सीपीएफ अंशदान	4,415,214.00	**4,415,214,00**	3,798,454.00	सीपीएफ निवेश	30,948,924,00	30,948,924,00	12,963,737.00
सीपीएफ अग्रिम की वापसी	1,026,493.00	**1,026,493.00**	848,719.00	आवर्ती जमा की किस्त	-	-	-
सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	2,474,825.00	**2,474,825.00**	2,173,794.00	बैंक प्रभार	300.00	**300.00**	1,016.00
निवेश का नकदीकरण	14,724,737.00	**14,724,737.00**	13,794,628.00	**31.03.2011 को इतिशेष**			
उपार्जित ब्याज				क) रोकड़ हाथ में	-	-	-
क) बचत बैंक खाते पर	340,176.00		0.00				
ख) निवेश पर	1,427,038.00	**1,767,214.00**	1,571,619.00	ख) बैंक शेष	6,834,923.83	**6,834,923.83**	16,449,964.00
विविध प्राप्तियां	0.00	**0.00**					
योग (रुपए)	**40,858,447.83**	**40,858,447.83**	**32,641,717.83**	**योग (रुपए)**	**40,858,447.83**	**40,858,447.83**	**32,641,717.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 01 - कोर्पस/पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	762492030.73	762492030.73	749460948.69	749460948.69
जोड़ें: कोर्पस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-	-	-	-
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	22893776.48	22893776.48	13031082.04	13031082.04
वर्ष के अंत में शेष	**785385807.21**	**785385807.21**	**762492030.73**	**762492030.73**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 02 - रिजर्व और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजीगत रिजर्व	-	-	-	-
(क) पिछले लेखा के अनुसार				
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि				
(ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-	-	-
(क) पिछले लेखा के अनुसार				
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि				
(ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
3. विशेष रिजर्व	-	-	-	-
(क) पिछले लेखा के अनुसार				
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि				
(ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. सामान्य रिजर्व	-	-	-	-
(क) पिछले लेखा के अनुसार				
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि				
(ग) घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
योग	0.00	0.00	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 03 - आबंटित/स्थायी निधियां	निधि-वार ब्यौरे								चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	निधि डब्ल्यूडब्ल्यू		निधि एक्सएक्स		निधि वाईवाई		निधि जेडजेड					
(क) निधियों का अथशेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में वृद्धियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) दान/अनुदान												
(ii) निधियों के आधार पर किए गए निवेशों से आय												
(iii) अन्य वृद्धियां (प्रकृति का खुलासा करें)												
योग (क+ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निधियों के प्रयोजनों के प्रति उपयोग/व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) स्थिर परिसंपत्तियां												
(ख) अन्य												
(ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि												
(ख) किराया												
(ग) अन्य प्रशासनिक व्यय												
योग (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 04 - आरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार				
	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (खुलासा करें)				
	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थान				
(क) सावधि ऋण				
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-	-	-
	-	-	-	-
4. बैंक				
(क) सावधि ऋण				
प्रोद्भूत और देय ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य ऋण (खुलासा करें)				
प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां				
	-	-	-	-
6. ऋणपत्र और बंधपत्र				
	-	-	-	-
7. अन्य (खुलासा करें)				
योग	-	-	-	-
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 05 - अनारक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (खुलासा करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण (खुलासा करें)	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 06 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं		राशि (रुपए)
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरणों तथा अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त की गई स्वीकृतियां		
(ख) अन्य	-	-
	-	-
योग		
	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 07 - चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ए. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां	-			
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए	-			
(ख) अन्य	-			
3. प्राप्त अग्रिम	-			
4. निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं				
(क) आरक्षित ऋण/उधार	-			
(ख) अनारक्षित ऋण/उधार	-			
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिदेय	-			
(ख) अन्य	-			
6. अन्य चालू देयताएं				
(क) बकाया व्यय	1135.00		681.00	
(ख) जमानती जमा	78885.00		78885.00	
(ग) सरकार-एनपीईपी को वापिस किए जाने योग्य	786919.00		786919.00	
(घ) यूनेस्को-एचआईवी/एड्स को वापिस किए जाने योग्य	77752.00		77752.00	
योग		**944691**		**944237.00**

अनुसूची 07 - चालू देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपए)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
बी. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
	-			
2. उपदान				
	-			
3. अधिवार्षिकी/पेंशन				
	-			
4. संचित अवकाश नकदीकरण				
	-			
5. व्यापारिक वारंटियां/दावे				
	-			
6. अन्य (खुलासा करें)				
	-			
योग				
योग (ए+बी)		-		
	944691.00	**944691.00**	**944237.00**	**944237.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 08 - स्थिर परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निबल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत में कुल	चालू वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार	पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार
ए. स्थिर परिसंपत्तियां										
1. भूमि									4981089.00	4981089.00
(क) पूर्ण स्वामित्व	-									
(ख) पट्टा	4981089.00	0.00		4981089.00						
2. बी. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-									
(ख) पट्टा भूमि पर	-									
(ग) मालिकाना फ्लैट/परिसर	-									
(घ) ऐसी भूमि पर जोकि संस्था के स्वामित्व की नहीं है, सुपरस्ट्रक्चर	-								44732070.40	42538907.40
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	42538907.40	2193163.00		44732070.40					15981217.60	13552931.60
4. फर्नीचर, फिक्सचर्स	13552931.60	2428286.00		15981217.60					4210178.33	3917325.33
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	3917325.33	292853.00		4210178.33						
चालू वर्ष का योग	64990253.33	4914302.00	0.00	69904555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69904555.33	64990253.33
पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. पूंजीगत-चालू-कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	64990253.33	4914302.00	0.00	69904555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69904555.33	64990253.33

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 09 - आबंटित/स्थायी निधियों में से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. ऋणपत्रों और बंधपत्रों में	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में	-	-
6. अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)	(अजय कुमार चौबे)	(विक्रम सहाय)
लेखा अधिकारी	अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. ऋणपत्रों और बंधपत्रों में	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में	-	-
6. अन्य (खुलासा करें)	-	-
अंशदायी भविष्य निधि		
(क) सीपीएफ निवेश	35191502.33	20667315.33
(ख) रोकड़ बैंक में	6834923.83	16449964.83
(ग) कर्मचारियों के पास अग्रिम	1552128.00	2109321.00
योग	**43578554.16**	**39226601.16**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ए. चालू परिसंपत्तियां				
1. सामान सूचियां				
(क) भंडार और कलपुर्जे	-			
(ख) अबद्ध औजार	-			
(ग) भंडार माल				
i) तैयार माल	-			
ii) चालू कार्य	-			
iii) कच्चा माल	-			
2. विविध देनदार				
(क) छः महीने से अधिक से बकाया पड़े ऋण	-			
(ख) अन्य	-			
3. रोकड़ शेष हाथ में (चेकों/ड्राफ्टों तथा अग्रदाय सहित)	231,773.00	**231,773.00**	247,177.00	**247,177.00**
4. बैंक शेष				
(क) अनुसूचित बैंकों में				
i) चालू खातों में			-	
ii) जमा खातों में (मार्जिन मनी सहित)	508,802,176.11		483,117,982.39	
iii) बचत खातों में 1. योजनागत	42,545,128.52		53,025,834.76	
2. एनपीईपी	536,669.00		536,669.00	
3. एचआईवी/एड्स-यूनेस्को	77,752.00		77,752.00	

		551,961,725.63		536,758,238.15
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में				
i) चालू खातों में	-			
ii) जमा खातों में	-			
iii) बचत खातों में	-			
5. डाकघर बचत खाते	-			
योग (ए)		**552,193,498.63**		**537,005,415.15**
बी. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
(क) स्टाफ	-			
(ख) एन्टिटी के समान क्रियाकलापों/लक्ष्यों में प्रवृत्त अन्य एन्टिटियां	-			
(ग) अन्य (खुलासा करें)	-			
2. अग्रिम तथा नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा प्राप्य मूल्य के लिए वसूलीयोग्य अन्य राशियां				
(क) जमानती जमा के रूप में अन्य संगठनों/पक्षकारों के पास पड़ी जमा राशि	132,666,555.00		130,428,195.00	
(ख) कर्मचारियों/अन्य को अग्रिम	10,590,593.25		10,050,233.25	
(ग) एनपीईपी अग्रिम	250,250.00		250,250.00	
		143,507,398.25		140,728,678.25
3. प्रोद्भूत आय				
(क) आबंटित/स्थायी निधियों में से निवेश पर	-			
(ख) निवेश पर - अन्य	-			
(ग) ऋणों तथा अग्रिमों पर	-			
(घ) अन्य (वसूल न की गई देय रुपए .... की आय शामिल है)	-			

4. प्राप्त किए जाने योग्य दावे				
(क) देय एलआईसी प्रीमियम				
(ख) पूर्वप्रदत्त व्यय	410.00		2,990.00	
	20,453,816.00		20,438,111.00	
				20,441,101.00
5. प्रकाशनों का बेचा न गया भंडार		20,454,226.00		
योग (बी)	270,820.00	**270,820.00**	270,820.00	**270,820.00**
योग (ए+बी)		**164,232,444.25**		**161,440,599.25**
	716,425,942.88	**716,425,942.88**	**698,446,014.00**	**698,446,014.40**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
(क) तैयार माल की बिक्री	-	-
(ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
(ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
(क) श्रम और प्रोसेसिंग प्रभार	-	-
(ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
(ग) एजेंसी कमीशन तथा दलाली	-	-
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
(ड.) अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 13 - अनुदान/आर्थिक सहायता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	
3. सरकारी एजेंसियां	-	
4. संस्थान/कल्याण बोर्ड	-	
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन - यूनेस्को (शांति शिक्षा परियोजना)	-	-
6. अन्य (खुलासा करें)	-	
योग	**0.00**	**0.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 14 - फीस/चंदा	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/चंदा	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्शी शुल्क	-	-
5. अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	**0.00**	**0.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 15 - निवेशों से आय	आबंटित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
(आबंटित/स्थायी निधियों से निवेश पर आय जोकि निधियों को अंतरित की गई)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
(ख) अन्य बंधपत्रों/ऋणपत्रों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
(क) शेयरों पर				
(ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया				
	-	-	-	-
4. अन्य (खुलासा करें)				
	-	-	-	-
योग				
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आबंटित/स्थायी निधियों को अंतरित				

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 16 - रायल्टी/प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	**0.00**	**0.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 17 - उपार्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उपार्जित ब्याज		
सावधि जमा/बचत बैंक खातों पर	26692434.10	34417301.67
योग	**26692434.10**	**34417301.67**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 18 - अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) मालिकाना परिसंपत्तियां	-	
(ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा निःशुल्क रूप से प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	
4) विविध आय		
(क) आवेदन-पत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि	303513.00	81351.00
(ख) संस्थानों की मान्यता के लिए फीस	115057043.89	86429214.91
(ग) विविध प्राप्तियां	729333.00	729415.00
(घ) प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त राशि	868955.00	2690400.00
(ड.) अपील फीस	5033700.00	10313650.00
(च) छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.00	103611.00
(छ) लाइसेंस शुल्क/बिजली तथा पानी प्रभार	0.00	0.00
(ज) वसूला गया किराया	0.00	0.00
योग	**121992544.89**	**100347641.91**

(भूपेन्द्र शर्मा)	(अजय कुमार चौबे)	(विक्रम सहाय)
लेखा अधिकारी	अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 19 - तैयार माल तथा चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) अंतिम माल				
i) तैयार माल				
ii) चालू कार्य	-	-	-	-
	-	-	-	-
(ख) घटाएं प्रारंभिक माल				
i) तैयार माल				
ii) चालू कार्य	-	-	-	-
	-	-	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (ए-बी)	0.00	0.00	0.00	0.00

(भूपेन्द्र शर्मा)	(अजय कुमार चौबे)	(विक्रम सहाय)
लेखा अधिकारी	अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय			
(क) वेतन और मजदूरी	56607536.00	**56607536.00**	52990680.00
(ख) भत्ते और बोनस			
i. शिक्षण शुल्क/बाल शिक्षा भत्ता	1493557.00		1284113.00
ii. समयोपरि भत्ता	33241.00		38703.00
iii. बोनस	216517.00		217602.00
		1743315.00	
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	2510885.00	**2510885.00**	2166676.00
(घ) अन्य निधि (खुलासा करें) में अंशदान			
(ड.) स्टाफ कल्याण व्यय			
(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय	0.00	**0.00**	0.00
(छ) अन्य (खुलासा करें)			0.00
i. मानदेय	0.00		1300724.00
ii.. छुट्टी यात्रा रियायत	408120.00		1346163.00
iii.. चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	974527.00		1165404.00
iv.. छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	2538554.00		672271.00
v. परामर्शदाता शुल्क	392525.00		27197.00
vi. अन्य भत्ते/प्राप्तियां	0.00		
		4313726.00	
योग	**65175462.00**	**65175462.00**	**61209533.00**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
(क) क्रय	-		-
(ख) श्रम और प्रोसेसिंग व्यय	-		-
(ग) ढुलाई तथा आंतरिक परिवहन व्यय	-		-
(घ) विद्युत और पावर तथा जल प्रभार	2165089.00	**2165089.00**	1700725.00
(ङ.) बीमा	-		-
(च) मरम्मत और अनुरक्षण	1408998.00	**1408998.00**	1632776.00
(छ) उत्पाद शुल्क	-		-
(ज) किराया, दरें और कर	-		-
(झ) वाहन चलाना और रखरखाव	2185327.00	**2185327.00**	1921085.00
(ञ) डाक व्यय, टेलीफोन तथा संचार प्रभार	3308022.00	**3308022.00**	2785841.00
(ट) मुद्रण और लेखन सामग्री	3212107.00	**3212107.00**	4481081.00
(ठ) यात्रा और सवारी खर्च			
i. यात्रा खर्च	2621273.00		2541904.00
ii. स्थानीय सवारी भाड़ा	69375.00	**2690648.00**	36808.00
(ड) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-		
(ढ) चंदा संबंधी व्यय	-		
(ण) फीस संबंधी व्यय	-		
(त) लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	170873.00	**170873.00**	150418.00
(थ) आतिथ्य व्यय	66074.00	**66074.00**	35292.00
(द) व्यावसायिक प्रभार	4354774.00	**4354774.00**	6168551.00
(ध) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-		
(न) बट्टे खाते डाली गई वसूल न की जा सकने वाली बकाया राशियां	-		

(प) पैकिंग प्रभार	-		
(फ) मालभाड़ा तथा अग्रेषण व्यय	-		
(ब) वितरण व्यय	-		
(भ) विज्ञापन और प्रचार	2285633.00	**2285633.00**	3573463.00
(म) अन्य (खुलासा करें)			
i. वर्दियां	1590.00		1763.00
ii. बैंक प्रभार	25410.51		10909.54
iii. पुस्तकें और पत्रिकाएं	43122.00		32660.00
iv. विविध कार्यालय व्यय	3404302.00		2599325.00
v. आनलाइन सेवा व्यय	1873805.00		723172.00
vi. परिषद और इसकी समितियों की बैठकें	9778277.00		9005888.00
vii. गैर-सरकारी सदस्यों को टीए/डीए/मानदेय	872037.00		4340193.00
viii. क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता के लिए संस्थानों के आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई	10303169.00		6085773.00
ix. आवास के लिए किराया	10669714.00		9236534.00
x. परियोजना/कार्यक्रम	1796769.00	**38768195.51**	3460167.00
योग		**60615740.51**	**60524328.54**

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 22 - अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
	-	-
(ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		
	-	-
योग		
	-	-

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

हंस भवन, विंग-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपए)

अनुसूची 23 - ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) सावधि ऋणों पर	-	-
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग) अन्य (खुलासा करें)	-	-
योग	-	-

(भूपेन्द्र शर्मा)
लेखा अधिकारी

(अजय कुमार चौबे)
अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
विंग-II, हंस भवन, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के लेखाओं के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (निदर्शनात्मक)

1. **लेखांकन परिपाटी**
   वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोद्भूत विधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. **सामान सूची मूल्यांकन**
   2.1 भंडारों तथा कलपुर्जों (मशीनरी के कलपुर्जों सहित) का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।
   2.2 कच्चे माल, अर्द्धनिर्मित माल और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम और वसूल किए जाने योग्य शुद्ध मूल्य पर किया जाता है। लागत-भारित औसत लागत पर आधारित होती है। तैयार माल और अर्द्धनिर्मित माल की लागत का निर्धारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

3. **निवेश**
   3.1 "दीर्घकालीन निवेशों" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत मूल्य पर चलाए जाते हैं। अस्थायी से इतर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान इस तरह के निवेशों को लेकर चलने वाली लागत में किया जाता है।
   3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत से कम तथा उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। इस तरह के निवेशों के मूल्य की कमी का प्रावधान प्रत्येक निवेश पर अलग-अलग विचार करते हुए किया जाता है तथा वैश्विक आधार पर नहीं किया जाता।
   3.3 लागत में दलाली, अंतरण, स्टैंपों जैसे अधिग्रहण खर्चे शामिल रहते हैं।

4. **उत्पाद शुल्क**
   निर्यात के लिए उत्पाद शुल्क को छोड़कर एंटिटी द्वारा उत्पादित माल के संबंध में उत्पाद शुल्क की देयता का हिसाब निर्माण की पूर्ति के बाद लगाया जाता है और उत्पाद शुल्क देय विनिर्मित माल के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में किया जाता है।

5. **स्थिर परिसंपत्तियां**
   5.1 स्थिर परिसंपत्तियों का वर्णन अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें भीतरी भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल होते हैं। जिन परियोजनाओं में विनिर्माण, संबंधित पूर्व-प्रचालनात्मक व्यय शामिल होते हैं (विशिष्ट परियोजनाओं की पूर्ति से पूर्व

उसके ऊपर ऋणों से संबंधित ब्याज सहित) वे पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य के अंग का निर्माण करती हैं।

5.2 जो स्थिर परिसंपत्तियां गैर-मौद्रिक अनुदानों (कोर्पस निधि को छोड़कर) प्राप्त की जाती है उन्हें पूंजीगत रिजर्व में तदनुरूपी जमा द्वारा वर्णित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. **मूल्यह्रास**

6.1 मूल्यह्रास का प्रावधान स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिवर्तन के कारण उभरने वाले लागत समायोजनों पर मूल्यह्रास को छोड़कर जिनका संबंधित परिसंपत्तियों की अवशिष्ट आयु में परिशोधन कर लिया जाता है, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धियों/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया जाता है।

6.3 5000 रुपए अथवा उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों में से प्रत्येक के लिए पूरा प्रावधान किया जाता है।

7. **विविध व्यय**

आस्थगित राजस्व व्यय को जिस वर्ष में वह किया जाता है उससे 5 वर्ष की अवधि के भीतर बट्‌टे खाते डाल दिया जाता है।

8. **बिक्री के लिए लेखांकन**

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल रहता है और वे वापिस की गई बिक्रियों, छूट तथा व्यापार बट्‌टे से निवल होती है।

9. **सरकारी अनुदान/सब्सिडियां**

9.1 परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत की दिशा में अंशदान के रूप में सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व के रूप में समझा जाता है।

9.2 अधिगृहीत विशिष्ट स्थिर परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

9.3 सरकारी अनुदानों/सब्सिडी का लेखा वसूली आधार पर रखा जाता है।

10. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन का लेखा, लेनदेन की तारीख को मौजूद विनिमय दर पर रखा जाता है।

10.2 मौजूदा परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और मौजूदा देनदारियों को वर्ष के अंत में मौजूद विनिमय दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को स्थिर परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित कर लिया जाता है, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा की देनदारी स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित हो तथा अन्य मामलों में जिसे राजस्व के लिए समझा जाता हो।

11. **<u>पट्टा</u>**

पट्टे का किराया पट्टे की शर्तों के अनुसार खर्च किया जाता है।

12. **<u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>**

12.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान संबंधी देनदारी जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत की जाती है।

12.2 कर्मचारियों के वास्ते संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान प्रोद्भूत किया जाता है और उसका परिकलन यह मानकर किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में इस तरह के लाभ पाने के हकदार हैं।

(भूपेन्द्र शर्मा)	**(अजय कुमार चौबे)**	**(विक्रम सहाय)**
लेखा अधिकारी	**अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)**	**सदस्य सचिव**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
विंग-II, हंस भवन, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के लेखाओं के भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां(निदर्शनात्मक)

1. आकस्मिक देयताएं

(क) कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से संबंधित विवादित मांगें:

आयकर उप-निदेशक (ई) इनवेस्टिगेशन सर्कल-II , नई दिल्ली ने रुपए 5,62,18,833 की मांग प्रस्तुत की है और उसी राशि के संबंध में दाण्डिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील आयकर आयुक्त (अपील)-21, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उप-निदेशक आयकर (ई) इनवेस्टिगेशन सर्कल-II ने रुपए 2,02,04,261/- की वसूली की है। आयकर आयुक्त (अपील) नई दिल्ली ने निर्धारण वर्ष 2005–2006 के लिए आयकर से छूट सम्बन्धी अपील के सम्बन्ध में इस आशय का आदेश पारित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी अर्थात् डीडीआईटी (ई), जांच सर्कल II का संचयन नामंजूर करने सम्बन्धी निर्णय बरकरार रखा है किन्तु वह सीमा से 15% से अधिक तक सीमित रखा है जिसके फलस्वरूप दिनांक 10.02.2011 की अपील आदेश संख्या 51/10–11 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है।

इसके बाद राअशिप ने परिषद की अनुमति से आयकर आयुक्त(अपील) के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण(आईटीएटी) में अपील दायर की है। एडीआईटी(ई), इनवेस्टिगेशन सर्कल-II ,नई दिल्ली ने भी आयकर आयुक्त (अपील) नई दिल्ली के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली शाखा 'ई' नई दिल्ली ने 18 नवम्बर, 2011 को यह आदेश जारी किया है कि 'हमें दोनों अपीलों में कोई गुण नजर नहीं आया। उन्हें नामंजूर किया जाता है।'

राअशिप ने आयकर विभाग से अपील के प्रभाव के लिए अनुरोध किया।

2. 1 से 25 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आर्थिक चिट्ठा तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा की अविभाज्य अंग हैं।

(भूपेन्द्र शर्मा) **लेखा अधिकारी**	**(अजय कुमार चौबे)** **अवर सचिव (वित्त तथा लेखा)**	**(विक्रम सहाय)** **सदस्य सचिव**